| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज |
| --- | --- |
| 2-12-21 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाही। बहस सुनी गयी, वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक 21-12-21 को पेश हो। |
| 21-12-21 | पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान अपनी खातेदारी आराजी नं॰ 878 रकबा 0.1300 हेक्टेयर भूमि मे आने-जाने हेतु रास्ता अप्रार्थी की आराजी नं॰ 881, 810 मे से 05 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम किये जाने एंव प्रार्थी को आराजी नं॰ 878 से होकर आराजी नं॰ 887 मे होकर आराजी नं॰ 810 तक रास्ते के नीचे पाईप लाईन डालने हेतु उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की। |
| | मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि प्रार्थी की आराजी नं॰ 878 मे आवागमन हेतु कोई रास्ता रेकार्ड नही है। एंव मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा-का-अधिनियम स्वीकार किये जाने योग्य है, अतः |
| | **:: आदेश ::** |
| | प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की आराजी ग्राम जिन्द्रास परवार हल्का जिन्द्रास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं॰ 878 रकबा 0.1000 हेक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है एंव मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त भूमि मे आने- |

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज। | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी नं॰ 887 रकबा 0.1300 हैक्टेयर भूमि मे से उत्तरी दिशा के सहारे सहारे 05 फीट चौड़ाई का रास्ता दिये जाने का आदेश दिया जाता है 05 फीट चौड़ाई के रास्ते मे आने वाली भूमि की D.L.C दर की डबल राशि नकद या D.D. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी को भुगतान करे। अप्रार्थी की भूमि रास्ते मे आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे, तरमीम किया जावे। उक्त रास्ते के नीचे प्रार्थी को आराजी नं॰ 878 से होकर आराजी नं॰ 887 मे होकर आराजी से॰ 890 तक रास्ते के नीचे 03 फीट बाद पाईप लाईन के आदेश दिये जाते है। पाईप लाईन डालने के पश्चात भूमि का समतलीकरण का खर्चा प्रार्थी वहन करे। तहसीलदार मांडल को निर्णय की प्रति भिजवाने हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>मांडल जिला भीलवाड़ा | |